कार्यालय कुलसचिव
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर

क्रमांक 2076(A)/स.कु.स.सा./2024 दिनांक 05/09/2024

<u>निविदा की शर्तें</u>

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा. विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर की ओर से कैंटीन संचालन हेतु निविदाकारों से वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित है। सुरक्षा निधि **सहायक कुलसचिव सामान्य** के नाम रू. 20000/- का FDR (एक वर्ष हेतु) के साथ पंजीकृत डाक से कुलसचिव कार्यालय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा. विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में दिनांक 19/09/2024 शाम 05:00 बजे तक जमा करें। प्राप्त निविदायें कुलसचिव कार्यालय में गठित समिति द्वारा दिनांक 20/09/2024 को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेंगी। नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय बेबसाइट www.ndvsu.com में देखी जा सकती है।

निविदा के नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा के साथ सुरक्षा निधि रू. 20000/- का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का सिर्फ FDR जमा कराना होगा। अन्य किसी भी प्रकार की सुरक्षा निधि मान्य नही होगी।
2. निविदा दिनांक 19/09/2024 शाम 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक से ही स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा 5 लिफाफों में निम्नानुसार जमा की जावेगी :-

- (लिफाफा अ) :- निविदा की कीमत रू. 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) का भारतीय पोस्टल आर्डर बैंक का धनादेश/ फर्म का जी.एस.टी. नं. प्रमाण पत्र/पंजियन एवं अन्य दस्तावेज।
- (लिफाफा ब) :- तकनीकी पत्रक।
- (लिफाफा स) :- दर पत्रक।
- (लिफाफा द) :- धरोहर राशि FDR के रूप में।
- (लिफाफा ई) :- समस्त चारों लिफाफे इसमें रखकर भेजे जावेंगें।
- लिफाफा अ एवं ब दिनांक 20/09/2024 को प्रातः 11:00 बजे खोले जावेंगे।
- लिफाफा स एवं द दिनांक 20/09/2024 को अपरान्ह 03:00 बजे खोले जावेंगे।

4. मुहरबन्द निविदायें वि.वि. क्रय समिति द्वारा दिनांक 20/09/2024 को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेंगी।

5. कैंटीन संचालन का दायित्व सिर्फ उसे हासिल हो सकेगा जो सुविधा, साफ, सफाई तथा वांछित किराये की रकम से अधिक राशि को अपनी निविदा में दर्शायेगा। न्यूनतम मासिक किराया राशि रू. 2000/- निर्धारित है

6. निविदा स्वीकृति उपरांत जारी आदेश तिथि से संचालक, केन्टीन चलाने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिये अधिकृत होगा। उसके बाद अगर संचालन सुचारू रूप से अच्छा रहेगा तब प्रति वर्ष 5 प्रतिशत किराया बढाया जावेगा।

7. कैंटीन में चाय,नाश्ता तथा फास्ट फूड आदि की व्यस्था केन्टीन संचालक की होगी।

8. कैंटीन में किसी भी प्रकार के मादक पेय पदार्थ, धूम्रपान आदि का विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

9. यदि ऐसा पाया गया कि कुलसचिव कार्यालय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा बनाये गये नियमों की अवहेलना की जा रही है, ऐसी दशा में निविदानुसार संचालक कैंटीन का निर्धारित कार्यकाल निरस्त कर दिया जावेगा तथा उसकी अमानत राशि अपने आप जप्त समझी जावेगी।

10. कैंटीन का समय –समय पर कुलसचिव कार्यालय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा निरिक्षण किया जाएगा और उनके द्वारा किये गये आदेशों का पालन करना कैंटीन संचालक का दायित्व होगा।

11. कैंटीन में रेफ्रिजरेटर, ओवन, पंखे तथा प्रकाश व्यवस्था को छोड़कर चाय-पान निर्माण हेतु बिजली का प्रयोग प्रतिबंधित है। कैंटीन में उपभोग की जा रही विद्युत का भुगतान कैंटीन संचालक को करना होगा।

12. कैंटीन को प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खोलना और बंद करना कैंटीन संचालक की नैतिक जिम्मेदारी होगी, और अगर अधिक समय तक खोलकर रखते है तो उचित है।

13. कम से कम एक वर्ष कैंटीन का संचालन करना जरूरी है अन्यथा सुरक्षा निधि जप्त कर ली जावेगी जिसके लिए निविदाकार जिम्मेदार होगा।

14. किसी भी अवस्था में यदि कैंटीन संचालक वि.वि. कैंटीन संचालन से मुक्त होना चाहता है तो उसे 30 दिन पहले इसकी सूचना कुलसचिव कार्यालय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा।

15. कैंटीन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु संचालक को प्रभारी अधिकारी कैंटीन से संपर्क करना होगा।

16. फर्म के पास जी.एस.टी. नं. होना आवश्यक होगा जिसमें खाद्य पदार्थ वितरण का उल्लेख हो।

17. निविदा की सेवा शर्तो में परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार वि.वि. के क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।

18. टेन्डर कास्ट रू. 1000/- (रू. एक हजार मात्र) का भारतीय पोस्टल आर्डर / बैंक का धनादेश जो **सहायक कुलसचिव सामान्य,** नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम देय हो साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

19. किसी भी बाद विवाद पर माननीय कुलपति जी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

5/9/24

कुलसचिव,

तकनीकी पत्रक

कार्यालय कुलसचिव
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर

क्रमांक 2076(A)/स.कु.स.सा./2024 दिनांक 05/09/2024

(फर्म/प्रोपराइटर द्वारा निविदा में भरा जावेगा)

निविदाकारों को निम्नलिखित फार्म भरना है। अस्पष्ट एवं गलत जानकारी वाली निविदा कमेटी द्वारा रद्द की जावेगी एवं अमान्य होगी।

1. निविदा क्रमांक : ....
2. कैंटीन : ....
3. निविदा खुलने का समय एवं तारीख : ....
4. आपका या आपकी फर्म का नाम : ....
5. पूरा पता : ....
   ....
6. आपका या आपकी फर्म का पेन कार्ड : ....
7. जी. एस. टी. नं. : ....
8. बैंक का नाम एवं पता जहाँ आपका खाता संधारित है : ....
9. किराया : निविदानुसार
10. उपरोक्त दरे सभी कर सहित दें : संलग्न परिशिष्ट अ में दर्ज करें।
11. ई. एम. डी. के ड्राफ्ट का नं. : ....

मैने निविदा की सभी शर्तें पढ ली है एवं समझने के बाद यह निविदा पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

नाम : ....

पता : ....

दर पत्रक

द्वारा

(निविदाकार का पूर्ण पता, फोन/मो.नं.)

प्रति ,

कुलसचिव,
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

आदरणीय महोदय,

मैं, वि.वि. कैंटीन के आवंटन हेतु न्यूनतम किराया राशि रू. 2000/- प्रतिमाह से अधिकतम राशि रू. .... प्रतिमाह देने के लिये तैयार हूँ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

सील एवं स्टाम्प

फर्म का नाम एवं पता

....

....

....